

समाहरणालय, बांका

(उत्पाद शाखा)

पत्रांक...../उ०

प्रेषक,

समाहर्ता
बांका

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय,
बिहार, पटना।

बांका, दिनांक...../2017.

विषय :- राज्यसात किये गये वाहनों के नोलामी संबंधी सूचना का प्रकाशन करन के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि बिहार मद्य-निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत अवैध शराब परिवहन में जब्त वाहनों को समाहर्ता, बांका के न्यायालय से राज्यसात वाहनों की आम नोलामी के तहत नोलाम किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि इस पत्र के साथ संलग्न आम नोलामी संबंधित सूचना को मुख्य दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की कृपा की जाए।

विवासभाजन

अधीक्षक उत्पाद,
बांका

अपर समाहर्ता-सह-
लो0110नि0 पदाधिकारी, बांका

समाहर्ता
बांका

ज्ञापांक...../उ०

दिनांक...../2017

प्रतिलिपि :-

1. जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, बांका को वृहत प्रचार-प्रसार हेतु सूचनार्थ एवं आवयक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. प्रभारी पदाधिकारी, एन० आई० सी०, बांका को सूचनार्थ एवं आवयक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशा दिया जाता है कि सूची को अपने बेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
3. पुलिस अधीक्षक, बांका को सूचनार्थ एवं आवयक कार्यार्थ प्रेषित।

विवासभाजन

अधीक्षक उत्पाद,
बांका

अपर समाहर्ता-सह-
लो0110नि0 पदाधिकारी, बांका

समाहर्ता,
बांका

समाहरणालय, बांका

(उत्पाद भाखा)

आम नीलामी सूचना

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि बांका जिलान्तर्गत विभिन्न थाना काण्डों/उत्पाद वादों में राज्यसात् किए गए निम्न वाहनों को बिहार मद्य-निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के सुसंगत प्रावधानों के तहत आम नीलामी (Public Auction) दिनांक 11.01.2018 को समाहरणालय सभागार, बांका में 11:00 बजे दिन से की जाएगी।

क्र० सं०	काण्ड/उत्पाद वाद सं०	वाहन का प्रकार एवं वाहन पंजीकरण संख्या	वाहन जहाँ रखा गया है	मूल्यांकन राशि (रुपया में)	अग्रधन की राशि (10%)
1	चान्दन थाना कांड सं० 98/16	हिरो स्पलेण्डर प्लस मोटरसाईकिल JH 15G 2333	चान्दन थाना में	10500.00	1050.00
2	बौसी थाना कांड सं० 211/16	आटो रिक्शा टेम्पू BR 10P- 7029	बौसी थाना में	30000.00	3000.00
3	उत्पाद वाद सं० सी०-7-175/16	हिरोहोण्डा मोटरसाईकिल BR 10K- 1053	अमरपुर थाना में	15000.00	1500.00
4	बौसी थाना कांड सं० 176/16	राजदूत मोटर साईकिल BR 10A- 5633	बौसी थाना में	3500.00	350.00
5	चान्दन थाना कांड सं० 147/17	टाटा मैजिक पोकअप BR 46C- 5547	चान्दन थाना में	150000.00	15000.00
6	अमरपुर थाना कांड सं० 473/16	बोलेरो जीप JH 17E- 2697	अमरपुर थाना में	250000.00	25000.00
7	चान्दन थाना कांड सं० 105/16	ऑटा रिक्शा BR 08P- 0629	चान्दन थाना में	55000.00	5500.00

नीलामी की भाते :-

- नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति अपना आवेदन, शपथ पत्र, परिचय पत्र एवं तालिका में वर्णित वाहनों के सामने अंकित अग्रधन की राशि दिनांक 10.01.2018 के संध्या 05:00 बजे तक अधीक्षक उत्पाद, कार्यालय समाहरणालय परिसर, बांका में नगद/बैंक ड्राफ्ट/नाजिर रसीद के रूप में जमा करना होगा।
- नीलामी में सफल व्यक्ति का अग्रधन नीलामी की तय राशि में समायोजित कर ली जायेगी तथा असफल व्यक्तियों को जमा अग्रधन की राशि वापस कर दी जायेगी।
- नीलामी में सफल व्यक्तियों को नीलामी की राशि नीलामी के तीन कार्यदिवसों के भीतर अधीक्षक उत्पाद, कार्यालय, बांका में जमा करना होगा अन्यथा अग्रधन की राशि जब्त कर, नीलामी रद्द कर दी जायेगी।
- समिति सफल क्रेता के नाम से वाहन का निबंधन कराने के निमित्त मात्र नीलामी कर दिये जाने का अधिकार पत्र निर्गत करेगी। वाहन संबंधी कागजात बनाने की जिम्मेदारी नीलामी प्राप्त करने वाले क्रेता की होगी। वाहन का पूर्व से निबंधित कागजात देने के लिए समिति बाध्य नहीं होगी तथा वाहन को सभी प्रकार के भार (Free of all encumbrances) से मुक्त मानते हुये नीलामी की जाएगी।
- नीलामी में सफल क्रेता को नियमानुकूल सभी देय करों का भुगतान करना होगा।
- नीलामी जो है, जहाँ है, जैसा है, के आधार पर किया जायेगा तथा किसी प्रकार का परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
- इच्छुक व्यक्ति संबंधित वर्णित उत्पाद/पुलिस थानों में जाकर वाहनों को देख सकते हैं।
- अधिकतम डाक बोलने वाले व्यक्ति को ही पूर्ण भुगतान के आधार पर वाहन दिया जाएगा। नीलामी समिति का निर्णय अंतिम होगा।
- किसी भी वाहन या सभी वाहनों की नीलामी बिना कारण रद्द करने की शक्ति नीलामी समिति के पास सुरक्षित होगी।
- विशेष जानकारी के लिए कार्यालय अधीक्षक उत्पाद, बांका से संपर्क किया जा सकता है।
- आवेदन देने की अंतिम तिथि 10.01.2018 है।

अधीक्षक उत्पाद,
बांका

अपर समाहर्ता-सह-
लो०१०१०१० पदाधिकारी, बांका

समाहर्ता,
बांका

